न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या–83 / 2024

मो0 मुमताज खान एवं अन्य

बनाम्

मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

–: आदेश :–

आवेदक मो0 मुमताज खान वो मुखतार आलम दोनों के पिता–स्व0 मो0 ताहीर खान वो मुनेजा खातुन, पति–स्व0 मो0 ताहीर खान वो वाजदा बीबी, पति–इनताफ खान वो याकुब खान, पिता–स्व0 कुर्बान खान सभी निवासी ग्राम+पो0–चकला, थाना+अंचल–चन्दवा, जिला–लातेहार के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 के तहत् चकला खुली कोयला खदान परियोजना, चकला, चन्दवा के लिए मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 21वीं मंजिल प्रथम अंतरराष्ट्रीय केन्द्र टॉवर 4, प्रभादेवी, प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास सेनापति बापत मार्ग, मुम्बई–400013 कोयला खदान (प्रतिष्ठान) चकला खुली कोयला खदान परियोजना ग्राम+पो0–चकला, थाना+अंचल–चन्दवा, जिला– लातेहार के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय कुमार राय पिता–स्व0 जनार्दन राय, जो चकला कोयला खदान में भूमि विभाग के सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थापित है के साथ अपनी निम्नांकित भूमि को बिक्री हेतु अनुमति के लिए आवेदन समर्पित किया गया है :–

भूमि का विवरण

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)
चकला	89	1141	1.040
		1143	0.480
		1145	0.500
		1051	0.280
		1007	0.965
		1014 / 3943	0.620
		कुल रकबा–	**3.885**

आवेदक द्वारा अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि का आम इस्तेहार प्रकाशित करते हुए अंचल अधिकारी, चन्दवा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

अंचल अधिकारी, चन्दवा के पत्रांक 734 दिनांक 09.09.2024 से भूमि का जांच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार की प्रति प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में वर्णित किया गया है कि आवेदकगण पठान जाति के सदस्य है तथा बिक्री हेतु अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि का मांग आर0एस0 मांग पंजी–II में आवेदकगण एवं अन्य रैयतो के नाम से मांग कायम है। आवेदकगण द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि बिक्री करने के पूर्वानुमति हेतु आवेदन दाखिल किया गया है, जिसके कारण चालु मांग पंजी–II में दर्ज अन्य हिस्सेदारों सकील खां पिता–स्व0 कुर्बान खां वगैरह के द्वारा आपत्ति का आवेदन प्राप्त है। उक्त आलोक में अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा आवेदकगण को भूमि बिक्री की अनुमति प्रदान नहीं करने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा जांच प्रतिवेदन में किये गये अनुशंसा के आलोक में आवेदकगण द्वारा भूमि बिक्री के लिए अनुमति हेतु दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष एवं अंचल अधिकारी, चन्दवा को भेजें।

अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

GS 1/10/24 उपायुक्त, लातेहार।

GS 1/10/24 उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.10.01 12:41:53 +05:30
Location: 192.168.25.143